

आखिल मितल जी कर्मो/✓

20/5/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः
पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 24/5/22 को पेश हो 1✓

24/05/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील पत्रावली के
लक्षित नहीं आये हैं। पत्रावली अद्यतन
की तलाबी की स्ट्रेज पर विचारार्थन है।
आज न्यायालय में गीन-तीन वरें प्रथम
प्रथम समय पर आवरण लगवने पर श्री
वकील वकील अद्यतन नहीं आये हैं। मूल
वाद 0-9, R-3, CPC के तहत खारिज हो
चुका है, इस कारण पत्रावली में आवाज
कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः
ग.र. पत्रावली औचित्यपूर्ण लेकर आवाज
0-9, R-3, जा. को के तहत अद्यतन लक्षित
व अद्यतन केरी के एवमुद्वारा खारिज
की जाती है। पत्रावली फौजल सुधार
की जाकर नंबर के कम लेकर काविल
कप्रवर है। आदेश करे इतलास सुनवा
जाकर मेरे एवताकर व न्यायालय सुन
से जानो किया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

